

प्रपत्र VI
बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता/अपर समाहर्ता-सह-समुचित सरकार
प्रारंभिक अधिसूचना
(अधिनियम-30/2013 की धारा- 11 (1) के अधीन)

चूंकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - खोभारीपुर, थाना- बैकुण्ठपुर थाना सं०- 329 अंचल- बैकुण्ठपुर, जिला- गोपालगंज में कुल 04.99 एकड़ यानि 1.996 हे० भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, परियोजना सत्तरघाट में आर०सी०सी पुल एवं पहुँच पथ के निर्माण के कार्य हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस०आई०ए० ईकाई द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराया गया, और एक प्रतिवेदन सापैा गया। सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन का सार-संक्षेप यथा-निम्न है :- सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन का निष्कर्ष है कि पथ परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण "लोकहित" की पूर्ति करता है और अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन परियोजना के जरूरतों के लिहाज से नितांत न्यूनतम है। भू-अर्जन के कारण लगभग 00 (शून्य) परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है। इस ब्राध्यकारी विस्थापन का कारण नीचे दिया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता, प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम- खोभारीपुर थाना बैकुण्ठपुर थाना नं० 329 अंचल- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगंज में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए अंचलाधिकारी, बैकुण्ठपुर के प्रतिवेदन के आधार पर सरकारी भूमि 1.67ए० एवं केसरेहिन्द 0.31ए० को छोटते हुए कमोवेश 04.99 एकड़ यानि 1.996 हेक्टर मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित भूमि अर्जनाधीन है।

क्र०सं०	खाता सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)
01	02	03	04	05	06	07	08
01	239	208	केवाला	भीठ	0.02	उमाशंकर राय वल्द मैनेजर राय वो मधुसूदन राउत वल्द स्व० रामा राउत सा० फेजुल्लाहपुर।	ऊ०-खेसरा 209 मंर मजरुआ मालिक द०-खेसरा 206 विनोद सिंह पु०-खेसरा 221 सडक प०-निज खेसरा
02	172	206	खतियानी	भीठ	0.16	विनोद सिंह वो आगोद सिंह वल्द सुरेन्द्र प्रताप सिंह सा० फेजुल्लाहपुर वो कामिनी देवी जोजे शगुनाथ सिंह सा० भगवानपुर।	ऊ०-खेसरा 208 उमा शंकर राय आदि द०-खेसरा 227 सडक देवन राय आदि पु०-खेसरा 221 सडक प०-निज खेसरा
03	164	222	केवाला	भीठ	0.115	देवन राय वगैरह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 206 विनोद सिंह आदि द०- खेसरा 223 वीर बहादुर सिंह आदि पु०- खेसरा 221 सडक प०-निज खेसरा
04	256	222 1277	केवाला	भीठ	0.01	प्रदुमन प्रसाद पिता स्व० त्रिभुवन प्रसाद कायरथ सा० फेजुल्लाहपुर।	ऊ०-खेसरा 222 देवन राय आदि द०- खेसरा 222 देवन राय आदि पु०-खेसरा 222 देवन राय आदि प०-निज खेसरा
05	193	223	खतियानी	भीठ	0.155	वीर बहादुर सिंह पिता राजेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर वो शंभु सिंह पिता स्व० दुधनाथ सिंह सा० खोभारीपुर वो कलावती देवी	ऊ०- खेसरा 222 देवन राय आदि द०- खेसरा 224 सुखलाल साह पु०- खेसरा 221 सडक प०- निज खेसरा

11
1007
1/2/18

खता सं०	सर्वे भूखण्ड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए० में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)	
01	02	03	04	05	06	07	
						08	
06	183	224	केवाला	भीठ	0.06	सुखलाल साह वल्द मोती साह सा० रामचंद्रपुर हाल फैजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 223 वीर बहादुर सिंह आदि द०- सीवान नरवार पू०- खेसरा 221 सडक प०- निज खेसरा
07	270	221	डिस्ट्रीक बोर्ड	सडक	1.11	जिला परिवद	ऊ०- खेसरा 209 गैर मजरुआ मालिक द०- सीवान नरवार पू०- खेसरा 210, 211 212, 214, 220 विनाद प्रसाद, आनन्द विहारी सिंह रजाक भियाँ कलावती देवी प०- खेसरा 298 206, 222, 223 224 उमा शंकर राय विनाद सिंह देवन नाथ वीर बहादुर सिंह सुखलाल साह आदि
08	121	210	केवाला	भीठ	0.10	विनाद प्रसाद वल्द स्व० रघुनाथ प्रसाद सा० फैजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 209 गैर मजरुआ मालिक द०- खेसरा 211 आनन्द विहारी सिंह पू०- निज खेसरा प०- खेसरा 221 सडक
09	143	211	खतियानी	भीठ	0.04	आनंद विहारी सिंह पिता गोपालजी सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 210 विनाद प्रसाद द०- खेसरा 212 रजाक भियाँ पू०- निज खेसरा प०- खेसरा 321 सडक
10	209	212	खतियानी	भीठ	0.10	रजाक भियाँ पिता मकडूम भियाँ के नुरुल होदा वगैरह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 211 आनन्द विहारी सिंह द०- खेसरा 214 कलावती देवी आदि पू०- निज खेसरा प०- खेसरा 221 सडक
11	193	214	खतियानी	भीठ	0.335	कलावती वो वीर बहादुर सिंह वल्द स्व० राजेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 212 रजाक भियाँ द०- खेसरा 212 रजाक भियाँ पू०- निज खेसरा प०- खेसरा 221 सडक
12	209	220	खतियानी	भीठ	0.17	रजाक भियाँ पिता मकडूम भियाँ के नुरुल होदा वगैरह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 214 कलावती देवी आदि द०- सीवान नरवार पू०- निज खेसरा प०- खेसरा 221 सडक
13	136	275	केवाला	भीठ	0.125	शिव वचन वो भूखल राय सा० खोभारीपुर।	ऊ०- नरवार सीमान द०- खेसरा 276 भगवान राय पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा
14	9	276	केवाला	भीठ	0.065	श्री भगवान राय पिता फुलेना राय सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 275 शिव वचन आदि द०- खेसरा 277 वीरबहादुर सिंह पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा
15	105	277	खतियानी	भीठ	0.08	वीर बहादुर सिंह वल्द स्व० राजेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 276 भगवान राय द०- खेसरा 279 वीर बहादुर सिंह पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा
16	30	279	खतियानी	भीठ	0.10	वीर बहादुर सिंह वल्द स्व० राजेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 277 वीर बहादुर सिंह द०- 280, 281 कन वासु सिंह पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा
17	129	280	खतियानी	भीठ	0.01	केन बाबू सिंह पिता स्व० जलेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 279 वीर बहादुर सिंह द०- खेसरा 282 सुनील कुमार सिंह पू०- खेसरा 281 कन वासु सिंह प०- निज खेसरा
18	127	281	खतियानी	भीठ	0.03	केन बाबू सिंह पिता स्व० जलेश्वर सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 279 वीर बहादुर सिंह द०- खेसरा 282 सुनील कुमार सिंह आदि पू०- खेसरा 284 सडक प०- खेसरा 280 कन वासु सिंह
19	172	282	खतियानी	भीठ	0.07	सुनील कुमार सिंह वगैरह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 280 कन वासु सिंह द०- खेसरा 283 विरेन्द्र नाथ पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा
20	50	283	केवाला	भीठ	0.20	विरेन्द्र राय पिता कविलास राय सा० खोभारीपुर। 521/3	ऊ०- खेसरा 282 सुनील कुमार सिंह आदि द०- खेसरा 302 सडक पू०- खेसरा 284 सडक प०- निज खेसरा

Handwritten signature/initials

क्र. सं०	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (ए०. म०)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भू-खण्ड सं०)	
02	03	04	05	06	07	08	
21	118	302	गैरमजरुआ आम	रास्ता	0.02	सरकारी भूमि	ऊ०- खेसरा 283 वीरेन्द्र राय द०-खेसरा 294 बबन सिंह पु०-खेसरा 284 सडक प०-निज खेसरा
22	7	294	खतियानी	भीठ	0.14	बबन सिंह वल्द नथुनी सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 302 सडक द०-खेसरा 561 बॉध पु०-खेसरा 284 सडक प०-निज
23	158	577	खतियानी	परती कदीम	0.02	दंबी राय वर्गह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 463 बॉध द०- सीवान नरवार पु०- सीवान नरवार प०- खेसरा 578
24	270	284	डिस्ट्रीक बोर्ड	सडक	1.09	जिला परिषद	ऊ०- सीवान नरवार द०- खेसरा 461 बॉध पु०- खेसरा 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 गैरमजरुआ मालिक, सोता राय सिंह, सुनील कुमार सिंह, तारकेश्वर सिंह आदि प०- खेसरा 275, 276, 277, 279, 281, 282, 283, 302, 294 शिव बचन, भगवान राय, वीर चहादुर सिंह, केन बाबू सिंह, सुनील कुमार आदि
25	68	286	खतियानी	भीठ	0.18	सीता राम सिंह पिता स्व० लोटन सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 286 गैरमजरुआ मालिक द०- खेसरा 287 सुनील कुमार पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
26	145	288	खतियानी	भीठ	0.035	तारकेश्वर सिंह को अर्जिन सिंह वर्गह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 287 गैरमजरुआ टीकेदार द०- खेसरा 289 सिरिस राय पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
27	172	289	केवाला	भीठ	0.09	सिरिस राय वल्द स्व० फुलेता राय सा० फेजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 288 तारकेश्वर सिंह द०- खेसरा 290 राजेन्द्र सिंह पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
28	91	290	केवाला	भीठ	0.09	राजेन्द्र सिंह वल्द स्व० दुधनाथ सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 289 सिरिस राय द०- खेसरा 291 जगदीश सिंह पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
29	7	291	खतियानी	भीठ	0.09	श्री जगदीश सिंह पिता स्व० गंगल सिंह सा० खोभारीपुर।	ऊ०- खेसरा 290 राजेन्द्र सिंह द०- खेसरा 292 सडक पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
30	258	292	गैरमजरुआ आम	रास्त	0.03	गैरमजरुआ आम	ऊ०- खेसरा 291 जगदीश सिंह द०- 293 लाल बाबू सिंह पु०- निज खेसरा प०- खेसरा 284 सडक
31	110	293	खतियानी	भीठ	0.15	लाल बाबू सिंह पिता स्व० जगन्नाथ सिंह सा० फेजुल्लाहपुर।	ऊ०- खेसरा 292 सडक द०- खेसरा 461 बॉध पु०- निज प०- खेसरा 284 सडक

सह अधिसूचना भू-अर्जन, पूनर्वासन और पूनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा/11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। बिहार सरकार/समाहर्ता-सह-समूचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समूचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, व भूमि खोदने या भू वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंघन उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंतर्गत भू अर्जन की दायत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी गोपालगंज के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

50/-
समाहर्ता,
गोपालगंज।

118/2013

ज्ञापंक.....910...../दिनांक 14-09-18/

- प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोपालगंज को अधिकारिक जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गोपालगंज/निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग विहार, पटना को सी0डी0 संलग्न कर दो दैनिक समाचार पत्र, जिसमें एक स्थानीय समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुगण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज को सूचनापट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), गोपालगंज को अद्योहरस्ताक्षरी (समुचित सरकार) के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्ता,
गोपालगंज।